



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)

Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)

E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com

Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक- 767 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0 /
सेवामें,

दिनांक 4 / 11 / 2016

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-7 के अन्तर्गत खरादी से स्यालना, भन्साड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल लम्बाई 10.00 किमी) हेतु 3.64 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन स्वीकृति का प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- आपके पत्रांक सं0 599/12-1, दिनांक, बड़कोट, सितम्बर 19/2016 एवं कार्यालय वन संरक्षक यमुना, वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 589/12-1(1), दिनांक देहरादून 2/09/2016 वनभूमि प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/9709/2015**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत करना है कि सन्दर्भित पत्रों द्वारा उक्त विषयक मोटर मार्ग के आनलाईन किये गये गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/9709/2015 में EDS माध्यम द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण इस कार्यालय द्वारा किया जा चुका है जो निम्नानुसार है।

1. बिन्दु संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15 तथा 16 में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर Forest clearance portal Part-I के Form A निराकरण /अपलोड कर दिया गया है।
2. बिन्दु सं0 09 के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वर्ष 2005-06 में सर्वेक्षण, डी0पी0आर0 गठन आदि कार्यों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त ही वित्तीय स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 प्रेषित की जायेगी।
3. बिन्दु सं0 13 के क्रम में अवगत कराना है कि चयनित वृक्षारोपण स्थल सिविल सोयम भूमि है जिस पर कि वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
4. बिन्दु सं0 17 के क्रम में अनुरोध करना है कि वनभूमि का घनत्व प्रमाण पत्र के अनुसार 0.4 है को Part-I में अपलोड किया जाना है तथा नई दरों के अनुसार एन0पी0वी0 धनराशि का आंकलन भी Part-II में अपलोड किया जाना है। जो कि आपके स्तर से आपत्ति का निराकरण किया जाना है।
5. बिन्दु सं0 18 से बिन्दु सं0 21 तक की आपत्तियों का निराकरण आपके कार्यालय एवं वन विभाग के उच्च कार्यालय स्तर से किया जाना है।

अतः प्रस्ताव आनलाईन Form A में इस कार्यालय से निराकरण/अपलोड के पश्चात आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड
पुरोला